CHETANA
International Journal of Education (CIJE)

Peer Reviewed/Refereed Journal
ISSN : 2455-8279 (E)/2231-3613 (P)

Impact Factor
SJIF 2025-8.445

Prof. A.P. Sharma
Founder Editor, CIJE
(25.12.1932 - 09.01.2019)

महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा चुनौतियां, प्रभाव और समाधान की एक व्यापक समीक्षा

पिंकी धनखड़
शोधार्थी
डॉ. विजयमाला
सहायक प्रोफ़ेसर
श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबड़ेवाला विश्वविद्यालय, चुडेला, झुंझुनू (राज.)
डॉ.सैय्यद कलीम अख्तर
नारायण स्कूल ऑफ लॉ गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुहार सासाराम.बिहार
Email- choudharypinky996@gmail.com, Mobile- 8619839003

……………………………………………………………………….
First draft received: 05.11.2025, Reviewed: 88.11.2025
Final proof received: 09.11.2025, Accepted: 10.11.2025

सारांश

महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा एक जटिल और वैश्विक समस्या है, जो महिलाओं के शारीरिक, मानसिक, और भावनात्मक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। यह केवल व्यक्तिगत संकट का कारण नहीं बनता, बल्कि समाज और राष्ट्र की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर भी गहरा प्रभाव डालता है। घरेलू हिंसा के विभिन्न रूप होते हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक, यौन और आर्थिक हिंसा, जो समाज में महिलाओं के उत्पीड़न का परिणाम होते हैं। इस शोध का उद्देश्य महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा के कारणों, प्रभावों, और इसके समाधान पर व्यापक समीक्षा प्रदान करना है। घरेलू हिंसा की उत्पत्ति में पारिवारिक असमानताएँ, शिक्षा की कमी, सामाजिक दबाव, और पुरानी परंपराएं शामिल हैं। इस शोध में घरेलू हिंसा के परिणामस्वरूप होने वाले मानसिक और शारीरिक नुकसान, महिलाओं के आत्मसम्मान पर पड़ने वाले प्रभाव, और उनके सामाजिक, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर इसके दुष्प्रभावों पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही, घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाने के लिए लागू किए गए कानूनी और सामाजिक उपायों का मूल्यांकन किया जाएगा। इस शोध में घरेलू हिंसा को रोकने के लिए अपनाए गए विभिन्न उपायों और समाधान को भी देखा जाएगा, जैसे कानूनी प्रावधान, सहायता केंद्र, आश्रय गृह, और मानसिक स्वास्थ्य समर्थन। शोध का मुख्य उद्देश्य घरेलू हिंसा के प्रभावी समाधान के लिए नीति निर्माण में योगदान देना है और इसे रोकने के लिए समाज में जागरूकता फैलाना है। इसके अतिरिक्त, यह अध्ययन महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने के लिए एक सशक्त दृष्टिकोण प्रस्तुत करेगा, जिससे समाज में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की समस्या को सुलझाया जा सके।

मुख्य शब्द: *घरेलू हिंसा, महिलाएँ, शारीरिक हिंसा, मानसिक हिंसा, यौन हिंसा, आर्थिक हिंसा, सामाजिक-आर्थिक प्रभाव आदि.*

प्रस्तावना

महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा एक गंभीर और जटिल समस्या है, जो न केवल व्यक्तिगत पीड़ा का कारण बनती है, बल्कि यह सामाजिक, सांस्कृतिक और कानूनी दृष्टिकोण से भी चिंता का विषय है। महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा एक वैश्विक महामारी है जो लाखों महिलाओं और लड़कियों को प्रभावित करती है, चाहे उनकी उम्र, पृष्ठभूमि या भौगोलिक स्थिति कुछ भी हो। हिंसा का यह रूप

सांस्कृतिक, जातीय और सामाजिक-आर्थिक सीमाओं को पार करता है, और इसके परिणाम न केवल पीड़ितों के लिए बल्कि उनके परिवारों और पूरे समाज के लिए विनाशकारी होते हैं। घरेलू हिंसा अक्सर एक बहुत ही छिपी हुई समस्या होती है, जिसमें कई महिलाएँ डर, शर्म या मदद लेने के लिए संसाधनों की कमी के कारण चुपचाप पीड़ित होती हैं। घरेलू हिंसा के परिणामस्वरूप होने वाले भावनात्मक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक निशान जीवन भर रह सकते हैं, जिससे पीड़ित, उनके परिवार और समुदाय की भलाई प्रभावित होती है।घरेलू हिंसा, जिसे कई बार श्आंतरिक हिंसाश् या श्पारिवारिक हिंसाश् कहा जाता है, महिलाओं के जीवन में गहरे और दीर्घकालिक प्रभाव डालती है। यह हिंसा शारीरिक, मानसिक, और यौन हिंसा के रूप में हो सकती है, और यह महिलाओं के स्वास्थ्य, सामाजिक स्थिति और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। घरेलू हिंसा के शिकार महिलाओं की स्थिति को

सुधारने के लिए कानूनी और सामाजिक उपायों की आवश्यकता है। भारत जैसे विकासशील देशों में यह समस्या अधिक गंभीर रूप से पाई जाती है, जहां समाज में महिलाओं के प्रति भेदभाव, पारंपरिक धारणाएँ, और पुरुष प्रधान सोच ने घरेलू हिंसा को एक सामान्यीकृत समस्या बना दिया है। घरेलू हिंसा को लेकर महिलाओं के लिए न केवल कानूनी सुरक्षा की आवश्यकता है, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग से समर्थन की भी आवश्यकता है।

हिंसा का अर्थ

हिंसा शब्द का अर्थ किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या चोट पहुंचाने के लिए किसी भी शारीरिक बल का प्रयोग करना है। मारने के इरादे से शारीरिक बल का प्रयोग करने वाला व्यवहार है। विश्व स्वास्थ्य संगठन हिंसा को परिभाषित करता है खुद के खिलाफ, किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ या किसी समूह या समुदाय के ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी परिभाषित करती है हिंसा किसी व्यक्ति या किसी चीज़ को चोट पहुँचाने, नुकसान पहुँचाने या खिलाफ जानबूझकर शारीरिक बल या शक्ति का प्रयोग, चाहे वह धमकी दी गई हो या वास्तविक, जिसके परिणामस्वरूप चोट, मृत्यु, मनोवैज्ञानिक नुकसान, कुरूपता या अभाव होता है या होने की संभावना अधिक होती घरेलू हिंसा परिवार की सीमाओं के भीतर महिलाओं का हिंसक उत्पीड़न है, आमतौर पर पुरुषों द्वारा। घरेलू हिंसा ज्यादातर मामलों में घर के सदस्यों द्वारा महिलाओं के खिलाफ हिंसा है, जहाँ वह रहती है। यह पति, उसके माता-पिता, भाई-बहन या कोई अन्य निवासी हो सकता है, जिसके पास ऐसी हरकतें करने की खुली या छिपी छूट होती है, जिससे महिलाओं को शारीरिक या मानसिक पीड़ा हो सकती है... यह बंद दरवाजों के पीछे होता है और अक्सर वही महिलाएं इससे इनकार करती हैं, जो हिंसा की शिकार होती हैं। महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा शब्द का अर्थ है कोई भी ऐसा कार्य या आचरण, जिससे घर की चार दीवारों के भीतर महिलाओं को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से चोट या नुकसान पहुंचने की संभावना हो, हालांकि, ऐसा कार्य या आचरण आमतौर पर अजनबियों द्वारा नहीं किया जाता है।

महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा के प्रकार

शारीरिक दुर्व्यवहार- शारीरिक दुर्व्यवहार एक प्रकार का शोषण है, जिसमें किसी व्यक्ति को शारीरिक चोट पहुँचाई जाती है। यह चोटें मुक्कों, लातों, लकड़ी या अन्य कठोर वस्तुओं से लगाई जा सकती हैं। इसके अलावा, शारीरिक दुर्व्यवहार में जलाना, खींचना, घसीटना, धक्का देना या अन्य तरीके से शारीरिक रूप से नुकसान पहुँचाना शामिल हो सकता है।

महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा के शारीरिक रूप इस प्रकार हैं-

महिला को धक्का देना या धकेलना, रोकने के लिए पकड़ लेना, थप्पड़ मारना या पीटना, लात मारना या गला दबाना, उस पर वस्तुएँ फेंकना, घर से बंद कर देना, बीमार या गर्भवती होने पर मदद से इनकार करना तथा हथियार से चोट पहुँचाने की धमकी देना।यौन शोषण एक गंभीर अपराध है, जिसमें किसी व्यक्ति के शरीर के यौन अंगों के साथ अनचाहे या अनधिकृत शारीरिक संपर्क के माध्यम से शोषण किया जाता है। यह शोषण किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे कि शारीरिक, मानसिक, या भावनात्मक स्तर पर। यौन शोषण केवल महिलाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पुरुषों, बच्चों और लिंग-निरपेक्ष व्यक्तियों को भी प्रभावित कर सकता है।

यौन शोषण के कुछ सामान्य रूपों में शामिल हैं-

यौन आलोचना करना, अवांछित या असहज स्पर्श पर जोर देना, सेक्स और स्नेह से दूर रखना, शारीरिक शोषण या बीमारी की स्थिति में जबरन सेक्स करना, बलात्कार करना, तथा ईर्ष्या के कारण अनावश्यक क्रोध दिखाना।

मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार- मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार जिसमें ऐसा व्यवहार शामिल है जिसका उद्देश्य डराना और सताना है, और जो परित्याग या दुर्व्यवहार की धमकियों, घर में कैद करने, निगरानी करने, बच्चों की कस्टडी छीनने की धमकियों, वस्तुओं को नष्ट करने, अलगाव, मौखिक आक्रामकता और लगातार अपमान का रूप लेता है।

आर्थिक दुर्व्यवहार- आर्थिक दुर्व्यवहार में धन से इनकार करना, वित्तीय योगदान देने से इनकार करना, भोजन और बुनियादी जरूरतों से इनकार करना और स्वास्थ्य देखभाल, रोजगार आदि तक पहुंच को नियंत्रित करना जैसे कार्य शामिल हैं।

भावनात्मक दुर्व्यवहार- एक प्रकार का मानसिक शोषण है, जिसमें किसी व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक रूप से चोट पहुँचाई जाती है। इसमें किसी व्यक्ति की आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और मानसिक स्थिति को जानबूझकर नुकसान पहुँचाने के लिए शब्दों, कार्यों और विचारों का इस्तेमाल किया जाता है। यह शारीरिक या यौन दुर्व्यवहार के समान दिखाई नहीं देता, लेकिन इसके प्रभाव बहुत गहरे और लंबे समय तक रह सकते हैं।

महिलाओं के विरुद्ध मानसिक हिंसा के रूप इस प्रकार हैं

लगातार आलोचना करना, अपमानजनक नामों से पुकारना या चिल्लाना, दोस्तों और परिवार का अपमान या अलग करना, निजी या सार्वजनिक रूप से अपमानित करना, घर छोड़ने की धमकी देना या मजबूर करना, बच्चों के अपहरण की धमकी देना, ताने मारना और आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाना, हेरफेर और नियंत्रण करना, हर गलती का दोष महिला पर डालना, उपेक्षा करना तथा गुप्त या खुले रूप में धमकाना।

व्यक्तिगत आधारित हिंसा यह पाया गया है कि वृद्ध महिलाएँ और लड़कियाँ विशेष रूप से घरेलू हिंसा की चपेट में आती हैं। परिवारों में महिलाओं की स्थिति निस्संदेह अभी भी काफी अनिश्चित है। अविवाहित लड़कियाँ, जो अपने पिता के घर में अवांछित हैं, भी हिंसा का अनुभव कर सकती हैं।

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा आयु और वैवाहिक स्थिति के आधार पर भी होती है। इसमें अविवाहित बालिकाओं के विरुद्ध हिंसा, विवाहित महिलाओं के विरुद्ध हिंसा तथा वृद्ध महिलाओं के विरुद्ध हिंसा शामिल हैं।

घरेलू हिंसा के कारण

घरेलू हिंसा कई कारणों से होती है। घरेलू हिंसा के किसी एक कारण को पहचान पाना बहुत मुश्किल है। महिलाओं के खिलाफ़ होने वाली हिंसा के लिए कोई एक कारक जिम्मेदार नहीं है। अनुसंधान ने विभिन्न कारकों की परस्पर संबद्धता पर ध्यान केंद्रित किया है, जिससे विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में समस्या की हमारी समझ में सुधार होना चाहिए। कई जटिल और परस्पर जुड़े संस्थागत सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों

ने महिलाओं को उनके खिलाफ़ होने वाली हिंसा के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील बना दिया है, ये सभी पुरुषों और महिलाओं के बीच ऐतिहासिक रूप से असमान शक्ति संबंधों की अभिव्यक्तियाँ हैं। इन असमान शक्ति संबंधों में योगदान देने वाले कारकों में शामिल हैं सामाजिक-आर्थिक ताकतें, पारिवारिक संस्था जहाँ शक्ति संबंध लागू होते हैं, महिला कामुकता का डर और उस पर नियंत्रण, पुरुषों की अंतर्निहित श्रेष्ठता में विश्वास, और कानून और सांस्कृतिक प्रतिबंध जो पारंपरिक रूप से महिलाओं और बच्चों को एक स्वतंत्र कानूनी और सामाजिक स्थिति से वंचित करते हैं। घरेलू हिंसा को बढ़ावा देने वाले कारण निम्नलिखित हैं- सांस्कृतिक,आर्थिक ,कानूनी ,राजनीतिक।

कानूनी दृष्टिकोण

भारत में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा को रोकने के लिए कई कानूनों का प्रावधान किया गया है। इनमें से कुछ प्रमुख कानून निम्नलिखित हैं

घरेलू हिंसा (रोकथाम) अधिनियम, 2005 यह अधिनियम महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा को रोकने और उसे प्रोत्साहित करने वाली गतिविधियों को दंडनीय बनाने के लिए अस्तित्व में आया। इसका उद्देश्य महिलाओं को अपने घर में हिंसा से बचाना और उन्हें कानूनी सुरक्षा प्रदान करना है। इस अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए संरक्षण आदेश, किराया भुगतान, आवास के अधिकार और अन्य राहतें प्राप्त होती हैं।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005

संविधान के तहत गारंटीकृत महिलाओं के अधिकारों की अधिक प्रभावी सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक अधिनियम जो परिवार के भीतर होने वाली किसी भी तरह की हिंसा की शिकार हैं और इससे संबंधित या आकस्मिक मामलों के लिए। घरेलू हिंसा की घटना आम तौर पर प्रचलित है, लेकिन सार्वजनिक डोमेन में काफी हद तक अदृश्य रही है। वर्तमान में, जहां किसी महिला के साथ उसके पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता की जाती है, तो यह भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 498 ए के तहत अपराध है। इसके परिणामस्वरूप, संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत गारंटीकृत अधिकारों को ध्यान में रखते हुए एक कानून प्रस्तावित किया गया है, जो नागरिक कानून के तहत एक उपाय प्रदान करता है जिसका उद्देश्य महिलाओं को घरेलू हिंसा का शिकार होने से बचाना और समाज में घरेलू हिंसा की घटनाओं को रोकना है।"प्रतिवादी का कोई भी कार्य, चूक या कमीशन या आचरण घरेलू हिंसा का गठन करेगा जब यह पीड़ित व्यक्ति के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, अंग या कल्याण को नुकसान पहुंचाता है या चोट पहुंचाता है या खतरे में डालता है, चाहे मानसिक या शारीरिक, या ऐसा करने की प्रवृत्ति रखता है और इसमें शारीरिक दुर्व्यवहार, यौन दुर्व्यवहार, मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार और आर्थिक दुर्व्यवहार शामिल है; या पीड़ित व्यक्ति को दहेज या अन्य संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा की किसी भी अवैध मांग को पूरा करने के लिए उसे या उसके किसी अन्य संबंधित व्यक्ति को मजबूर करने के उद्देश्य से परेशान, नुकसान पहुंचाता, घायल करता या खतरे में डालता है; या किसी भी आचरण से पीड़ित व्यक्ति या उसके किसी भी संबंधित व्यक्ति को धमकाने का प्रभाव डालता है; या अन्यथा पीड़ित व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक रूप से चोट पहुंचाता या नुकसान पहुंचाता है।15 घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005 की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं यह उन महिलाओं को कवर करने का प्रयास करता है जो दुर्व्यवहार करने वाले के साथ संबंध में हैं या रही हैं, जहां दोनों पक्ष एक साझा घर में एक साथ रहते हैं और रक्त संबंध, विवाह या विवाह या गोद लेने की प्रकृति के संबंध से संबंधित हैं; इसके अलावा संयुक्त परिवार के रूप में एक साथ रहने वाले परिवार के सदस्यों के साथ संबंध भी शामिल हैं। यहां तक कि वे महिलाएं जो बहनें, विधवाएं, मां, एकल महिलाएं या साथ रहती हैं, प्रस्तावित अधिनियम के तहत कानूनी सुरक्षा पाने की हकदार हैं। घरेलू हिंसा में शारीरिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक और वित्तीय रूप से दुर्व्यवहार या दुर्व्यवहार की धमकी शामिल है। महिला या उसके रिश्तेदारों को दहेज की मांग करके परेशान करना भी इस परिभाषा के अंतर्गत आएगा। अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक महिला का सुरक्षित आवास का अधिकार है। अधिनियम महिला को वैवाहिक या संयुक्त घर में रहने का अधिकार प्रदान करता है, चाहे उसके पास घर में कोई अधिकार हो या न हो। यह अधिकार निवास आदेश द्वारा सुरक्षित है, जिसे न्यायालय द्वारा पारित किया जाता है। ये निवास आदेश किसी भी महिला के खिलाफ पारित नहीं किए जा सकते। अधिनियम के तहत परिकल्पित अन्य राहत न्यायालय की सुरक्षा आदेश पारित करने की शक्ति है जो दुर्व्यवहार करने वाले को घरेलू हिंसा या किसी अन्य विशिष्ट कार्य में सहायता करने या प्रदर्शन करने, कार्यस्थल या किसी अन्य स्थान पर प्रवेश करने से रोकती है, पीड़ित के साथ संवाद करने का प्रयास करती है, दोनों पक्षों द्वारा उपयोग की जाने वाली किसी भी संपत्ति को विभाजित करती है और पीड़ित, उसके रिश्तेदारों और अन्य लोगों को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए हिंसा करती है। अधिनियम में महिला को चिकित्सा जांच, कानूनी सहायता, सुरक्षित आश्रय आदि के संबंध में सहायता प्रदान करने के लिए संरक्षण अधिकारियों और गैर सरकारी संगठनों की नियुक्ति का प्रावधान है। अधिनियम में प्रतिवादी द्वारा संरक्षण आदेश या अस्थायी संरक्षण आदेश का उल्लंघन करने को संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध माना गया है, जिसके लिए एक वर्ष तक की सजा या बीस हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसी तरह, संरक्षण अधिकारी द्वारा कर्तव्यों का पालन न करना या उनका निर्वहन न करना भी अधिनियम के तहत समान सजा के साथ अपराध माना गया है।

साहित्य की समीक्षा

बाबू बी.वी. और कर एस.के. 2010 भारत में घरेलू हिंसा पीड़ित होने और अपराध करने से जुड़े कारक इस अध्ययन ने भारत के पूर्वी भागों में घरेलू हिंसा की व्यापकता और उसके पीछे के सामाजिक, पारिवारिक, और आर्थिक कारकों का विश्लेषण किया। शोध में यह पाया गया कि घरेलू हिंसा की घटनाएँ शिक्षा की कमी, गरीबी, नशे की आदतों और पारिवारिक दबावों से जुड़ी हुई हैं। अध्ययन ने पुरुषों द्वारा हिंसा करने के कारणों और महिलाओं के शिकार बनने की स्थितियों का तुलनात्मक रूप से विश्लेषण किया, जिससे घरेलू हिंसा की दोतरफा प्रकृति को उजागर किया गया।

बाबू जीआर और बाबू बीवी 2011 अध्ययन दहेज मृत्यु भारत में एक उपेक्षित सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा। इस शोध में दहेज से जुड़ी मौतों को भारत में एक उपेक्षित सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में बताया गया है। अध्ययन यह उजागर करता है कि विवाह के बाद महिलाओं पर अत्यधिक सामाजिक और आर्थिक दबाव उन्हें मानसिक, भावनात्मक और कभी-कभी

शारीरिक रूप से इतना नुकसान पहुंचाते हैं कि आत्महत्या और हत्या जैसी घटनाएं बढ़ जाती हैं।

राज ए, सबरवाल एस, डेकर एमआर, नायर एस, जेठवा एम, कृष्णन एस, और सिल्वरमैन जेजी 2011 गर्भावस्था और प्रसव के बाद ससुराल वालों से दुर्व्यवहार मुंबई, भारत में शिशुओं की कम आय वाली माताओं से गुणात्मक और मात्रात्मक निष्कर्ष में यह अध्ययन किया गया की गर्भावस्था और प्रसव के बाद महिलाओं पर ससुराल पक्ष से होने वाली हिंसा पर केंद्रित है। इसमें आर्थिक निर्भरता, पारिवारिक नियंत्रण, और सामाजिक परंपराओं को मुख्य कारण बताया गया है।

अचप्पा बी एट अल. 2017 दक्षिण भारत के एक तटीय शहर में एचआईवी/एड्स से पीड़ित महिलाओं में अंतरंग साथी हिंसा, अवसाद और जीवन की गुणवत्ता के इस अध्ययन ने ये उजागर किया है एचआईवी/एड्स से पीड़ित महिलाओं के जीवन में अंतरंग साथी द्वारा की गई हिंसा, डिप्रेशन और जीवन गुणवत्ता पर असर का विश्लेषण किया गया है। निष्कर्ष से यह पता चला कि इन महिलाओं में घरेलू हिंसा की घटनाएं अत्यधिक हैं और उनका मानसिक स्वास्थ्य तथा सामाजिक जीवन गंभीर रूप से प्रभावित होता है।

प्रो. संगीता चौधरी 2018 अध्ययन शीर्षक घरेलू हिंसा और कानूनी हस्तक्षेप भारतीय परिप्रेक्ष्य में एक समीक्षा प्रो. चौधरी ने अपने शोध में भारत में घरेलू हिंसा से संबंधित कानूनों (विशेष रूप से घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005) के प्रभाव और कार्यान्वयन की समीक्षा की। अध्ययन में उन्होंने दिखाया कि कानूनी ढांचा मौजूद होने के बावजूद सामाजिक कलंक, पुलिस की उदासीनता और महिलाओं की आर्थिक निर्भरता जैसे कारक न्याय प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं। लेखिका ने कानूनी जागरूकता, पीड़िता केंद्रित सहायता और न्यायिक प्रणाली में सुधार पर बल दिया।

बबीता कुमारी और डॉ. रीता मिश्रा 2021 घरेलू हिंसा और महिला संप्रदाय सामाजिक संरचना का विश्लेषण इस अध्ययन में घरेलू हिंसा को एक सामाजिक घरेलू समस्या के रूप में देखा गया है। लेखक ने भारत में विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में महिलाओं पर हो रही हिंसा की गहराई से समझने का प्रयास किया है। शोध के अनुसार, घरेलू हिंसा के पीछे सबसे प्रमुख कारण पितृसत्तात्मक सोच, शिक्षा की कमी, महिलाओं की आर्थिक संस्कृति और सामाजिक कलंक है। लेखिका ने बताया कि कई महिलाएं अपने ऊपर हो रही हिंसा को ष्नियतिष् के लिए स्वीकार कर सकती हैं। यह अध्ययन महिला संविधान के विभिन्न उपायों जैसे शिक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता, और कानूनी जागरूकता को घरेलू हिंसा के खिलाफ आक्रामक हथियार दर्शाता है।

अध्ययन का उद्देश्य

1.घरेलू हिंसा के विभिन्न रूपों और उसके कारणों का विश्लेषण करना।

2.घरेलू हिंसा के शारीरिक, मानसिक, और सामाजिक प्रभावों की समीक्षा करना।

3.घरेलू हिंसा के समाधान और कानूनी उपायों का मूल्यांकन करना।

शोध की परिकल्पनाएँ

1. **घरेलू हिंसा के विभिन्न रूप और कारण**

- घरेलू हिंसा के रूप (शारीरिक, मानसिक, यौन, आर्थिक) और उसके कारणों में कोई संबंध नहीं है।
- घरेलू हिंसा के विभिन्न रूप (शारीरिक, मानसिक, यौन, आर्थिक) सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारणों से जुड़े हुए हैं।

2. **घरेलू हिंसा के प्रभाव**

- घरेलू हिंसा का महिलाओं के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
- घरेलू हिंसा का महिलाओं के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

घरेलू हिंसा के समाधान और कानूनी उपाय

- घरेलू हिंसा से संरक्षण के लिए बने कानूनी उपाय और सामाजिक प्रयास प्रभावी नहीं हैं।
- घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम (2005) जैसे कानूनी उपाय और सामाजिक प्रयास हिंसा की रोकथाम में सहायक हैं, परंतु सामाजिक और आर्थिक बाधाएँ इनके प्रभाव को सीमित करती हैं।

कार्यप्रणाली

यह शोध साहित्य समीक्षा पर आधारित है।

- अध्ययन में पूर्व प्रकाशित शोध-पत्रों, रिपोर्टों और समीक्षात्मक लेखों का विश्लेषण किया गया।
- गुणात्मक पद्धति का प्रयोग करते हुए घरेलू हिंसा से जुड़े कारणों, प्रभावों और समाधानों पर निष्कर्ष निकाले गए।

चर्चा

घरेलू हिंसा केवल पारिवारिक विवाद नहीं बल्कि सामाजिक संरचना की समस्या है। इसके कारणों में गरीबी, नशा, पितृसत्ता, अशिक्षा और दहेज प्रथा शामिल हैं। इसका प्रभाव केवल महिलाओं पर नहीं बल्कि बच्चों के मानसिक विकास और पारिवारिक स्थिरता पर भी पड़ता है। समाधान के लिए केवल कानून पर्याप्त नहीं हैं। समाज में महिला शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण और जागरूकता आवश्यक है।

खोज / परिणाम

घरेलू हिंसा के रूप और कारण

घरेलू हिंसा केवल शारीरिक हिंसा तक सीमित नहीं है बल्कि यह मानसिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर पर भी महिलाओं को प्रभावित करती है। इसके मुख्य कारण शिक्षा का अभाव, गरीबी, नशे की आदतें, पारिवारिक दबाव, दहेज प्रथा, पितृसत्तात्मक सोच और महिलाओं की आर्थिक निर्भरता पाए गए।

घरेलू हिंसा के प्रभाव

घरेलू हिंसा का असर महिलाओं के शारीरिक स्वास्थ्य पर चोट, बीमारी और कभी-कभी मृत्यु तक हो सकता है। मानसिक स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव अवसाद, आत्महत्या की प्रवृत्ति, तनाव और आत्मसम्मान में कमी के रूप में देखा गया। सामाजिक रूप से यह महिलाओं को अलगाव, असुरक्षा, और पारिवारिक

विघटन की ओर धकेलता है, जिससे बच्चों और परिवार पर भी नकारात्मक असर पड़ता है।

घरेलू हिंसा के समाधान और कानूनी उपाय

भारत में घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005 जैसे कानूनी ढाँचे मौजूद हैं, लेकिन सामाजिक कलंक, पुलिस की उदासीनता और जागरूकता की कमी के कारण इनका प्रभाव सीमित है। शिक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता, कानूनी जागरूकता और महिला सशक्तिकरण को घरेलू हिंसा के समाधान के प्रभावी उपाय के रूप में चिन्हित किया गया है।

संक्षेप में परिणाम

यह अध्ययन दर्शाता है कि घरेलू हिंसा एक बहुआयामी सामाजिक समस्या है, जो केवल कानून से समाप्त नहीं की जा सकती। इसके समाधान के लिए सामाजिक सोच में परिवर्तन, महिलाओं की शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण, कानूनी व्यवस्था की मजबूती और समाज में जागरूकता लाना आवश्यक है।

निष्कर्ष

यह शोध पत्र महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा की गंभीरता, उसके प्रभावों और उसके समाधान पर व्यापक चर्चा करता है। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि घरेलू हिंसा केवल व्यक्तिगत संकट तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज और राष्ट्र की प्रगति में भी बाधा उत्पन्न करता है। इस शोध में यह भी पाया गया कि घरेलू हिंसा के कारण सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और मानसिक कारकों से जुड़े होते हैं, जिनका समाधान बहुआयामी दृष्टिकोण से किया जाना आवश्यक है।घरेलू हिंसा के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक प्रभावों की समीक्षा से यह पता चलता है कि यह महिलाओं के आत्मसम्मान, स्वास्थ्य और सामाजिक स्थिति को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। कानूनी उपायों और सामाजिक जागरूकता अभियानों के माध्यम से इस समस्या का समाधान करने के लिए विभिन्न प्रयास किए गए हैं, लेकिन अब भी व्यापक सुधार की आवश्यकता है।इस शोध के निष्कर्षों के आधार पर, यह सिफारिश की जाती है कि घरेलू हिंसा को रोकने के लिए सख्त कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए, महिलाओं की शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया जाए, और समाज में जागरूकता अभियान चलाए जाएँ। साथ ही, पीड़ित महिलाओं के लिए अधिक समर्थन केंद्र, मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ और पुनर्वास सुविधाएँ उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

अंततः, घरेलू हिंसा की समस्या को समाप्त करने के लिए सरकार, समाज और परिवारों को मिलकर काम करना होगा। केवल कानूनी उपाय ही नहीं, बल्कि सामाजिक मानसिकता में बदलाव लाकर ही इस गंभीर समस्या का स्थायी समाधान संभव है।

संदर्भ

- **अचप्पा, बी., माडी, डी., भास्करन, यू., रामपुरम, जे., राव, एस., एवं महालिंगम, एस. (2017).** एचआईवी/एड्स से पीड़ित महिलाओं में अंतरंग साथी हिंसा, अवसाद और जीवन की गुणवत्ता। जर्नल ऑफ इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोवाइडर्स ऑफ एड्स केयर, 16(6), 579इ583.
- **कुमारी, बबीता., एवं मिश्रा, रीता. (2021**). घरेलू हिंसा और महिला संप्रदायरू सामाजिक संरचना का विश्लेषण। भारतीय महिला अध्ययन पत्रिका, 29(2), 88इ97.
- **चौधरी, संगीता. (2018).** घरेलू हिंसा और कानूनी हस्तक्षेपरू भारतीय परिप्रेक्ष्य में एक समीक्षा। भारतीय समाजशास्त्र समीक्षा, 22(3), 115इ124.
- **बाबू, बी. वी., एवं कर, एस. के. (2010).** भारत के पूर्वी क्षेत्रों में घरेलू हिंसारू पीड़िता और अपराधी से जुड़े कारक। जर्नल ऑफ इंटरपर्सनल वायलेंस, 25(6), 1083इ1101.
- **बाबू, जी. आर., एवं बाबू, बी. वी. (2011).** दहेज मृत्युरू भारत में एक उपेक्षित सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा। इंटरनेशनल हेल्थ, 3(1), 35इ43.
- राज, ए., सबरवाल, एस., डेकर, एम. आर., नायर,
- **एस., जेठवा, एम., कृष्णन, एस., एवं सिल्वरमैन, जे. जी. (2011).** गर्भावस्था और प्रसव के बाद ससुराल पक्ष से दुर्व्यवहाररू मुंबई की निम्न-आय वाली माताओं पर अध्ययन। मेटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ जर्नल, 15(6), 700इ712.